सं०सं० :-- प०नि०वि०--02--मुक०--17 / 2025--   राँची, दिनांक :--

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के निमित्त अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में दिनांक--17.04.2013 एवं 14.03.2023 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री जनसंघ कोल, कनीय अभियंता के विरूद्ध CBI थाना कांड सं0--RC--02(A) / 2010(R) में विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृत रहने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित होने के कारण उनकी प्रोन्नति के संदर्भ में निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा गया था।

2. CBI कांड सं0--RC--02(A) / 2010(R) मामले में दिनांक--29.01.2020 को सी0बी0आई0 न्यायालय, धनबाद द्वारा श्री जनसंघ कोल सहित कतिपय अन्य अभियंताओं को आरोपमुक्त कर दिया गया है।

SP & Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad के पत्रांक--534 / 3 / RC.02(A) / 2010-R, दिनांक--24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध CBI के द्वारा Acquittal Appeal No.- 36 / 2021 दायर किया गया है, जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

3. विभागीय आदेश सं0--2766(S), दिनांक--29.06.2026 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर Acquittal Appeal No. 36 / 2021 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ श्री जनसंघ कोल, कनीय अभियंता को "आरोप मुक्त" करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय आदेश सं0--52--सह--पठित ज्ञापांक--1513, दिनांक--02.03.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया है।

4. कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति नहीं दिये जाने के कारण श्री जनसंघ कोल द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद WP(S) No.- 5899 / 2025 एवं अवमाननावाद सं0--25 / 2026 दायर किया गया था।

5. उपर्युक्त वाद एवं अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के अनुपालन, विधि विभाग के परामर्श एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं० 6227, दिनांक--20.11.2008 के आलोक में LPA No.- 307 / 2026 के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर याचिकाकर्त्ता जनसंघ कोल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दुमका को निम्न् शर्तों के साथ सहायक अभियंता (असैनिक) (वेतनमान PB-II 9300--34800 /-- ग्रेड पे--5400 /-- पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल--9) के पद पर दिनांक--03.05.2013 के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :--

i) श्री जनसंघ कोल के सहायक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत बने रहेंगे एवं इनके द्वारा वर्तमान में धारित पद को सहायक अभियंता के पद के रूप में उत्क्रमित किया जाता है।

ii) प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहित के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–मुक0–17/2025– **राँची, दिनांक :–**

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–मुक0–17/2025– **राँची, दिनांक :–**

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय, राँची/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–02–मुक0–17/2025–2967(S) **राँची, दिनांक :–**10/07/2026

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यालय में पदस्थापित सभी अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारी/ई0 प्रोक्योरमेंट सेल को ई0 गजट में प्रकाशन हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।